

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
भवन अनुज्ञा शाखा।

भवन पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु वांछित अभिलेखों की प्रति निम्नानुसार
सूचीबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:—

- (01) आवेदन पत्र।
- (02) आर्किटेक्ट का भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।
- (03) तीन कापी मानचित्र।
- (04) भवन अनुज्ञा की फोटोकापी एवं नकशे की कापी।
- (05) बिल्डिंग का फोटोग्राफ।
- (06) 150 वर्गमीटर से ज्यादा होने पर रेनवाटर हार्डस्टिंग की फोटोग्राफ।

